राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/807 दिनांक : 27/12/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत योजनाओं/नई पंजीकरण योजनाओं में किराया क्रय पद्धति व नगद भुगतान पद्धति (स्ववित्त पोषित योजना, विशिष्ट पंजीकरण योजना एवं सामान्य पंजीकरण योजना) में रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मण्डल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तीय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है, का प्रावधान मण्डल में लागू करने हेतु प्रस्ताव मण्डल की 248 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22–11–2022 में बिन्दु संख्या 248.33 रखा गया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि तालिका–अ के अनुसार एवं मध्यम आय वर्ग–अ व ब तथा उच्च आय वर्ग के लिए पंजीकरण हेतु तालिका–ब के अनुसार पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका–अ

क्र. सं.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि किश्त			योग
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	7,000	5,000	5,000	5,000	22,000
2.	अल्प आय वर्ग	15,000	10,000	10,000	10,000	45,000

तालिका–ब

क्र. सं.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि की किश्ते = अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत –पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग–अ	50,000	35 %	30 %	30 %
2	मध्यम आय वर्ग–ब	80,000	35 %	30 %	30 %
3	उच्च आय वर्ग	1,20,000	35 %	30 %	30 %

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले पंजीकरण के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29–06–2009 के अनुसार ही पंजीकरण राशि एवं शेष राशि की किश्तें ली जावेगी।

D/DRB/OFFICE ORDER